संख्या- 41 /2016-348/नौ-5-15-161बजट/2015

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 11 मार्च, 2016

विषयः: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ के अधीन भरवारा स्थित 345 एमएलडी के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने हेतु ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध् निदेशक उ0प्र0 जल निगम लखनऊ के पत्र सं0 26/नागर-2/033-304/16, दिनांक 28.01.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है राज्य सेक्टर के अन्तर्गत नगर निगम, लखनऊ के अधीन भरवारा स्थित 345 एमएलडी के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु संख्या-171/2015-262/नौ-5-15-161बजट/2015 दिनांक 02-06-2015 निर्धारित लागत रू0 1834.93 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 733.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है, का उपभोग हो जाने के अनुक्रम में द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में रू0 1100.96 लाख (रू0 ग्यारह करोड़ छियान्वे हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखत शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष् कार्याधिकारी, नगरविकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैक से आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पीएलए /डिपोजिट खाते में नही रखी जायेगी।

(2) स्वीकृति धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैक/ डाकघर/ पीएलए/डिपाजित खाते में नही रखी जायेगी ।

(3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय ।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन किसी भी दशा मे नही किया जायेगा।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा ।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनदेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा मे उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(9) कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

go finance mangal font

(10) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चत किया जाय।

(11) भरवारा एस.टी.पी. के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य उ0प्र0 के अभियन्ता आदि ही करेगें।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धरित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रण् इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोनागत लेखाशीर्षक "2215- जल पूर्ति तथा सफाई- 02-मल जल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषणका निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम(के.70/रा.30-के.+ रा.)-20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" से आहरित कर लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-उ0प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यो हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान"के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

संलग्नक- उपरोक्त

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 41 /2016-348/नौ-5-16-16बजट/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशरः-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6- नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9- महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
10- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11- सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

go finance mangal font

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम- अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग वित्तीय वर्ष 2015-16

(धनराशि हजार रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवदेन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2215- जल पूर्ति तथा सफाई- 02-मल जल तथा सफाई-106-वायु एवं जल प्रदूषणका निवारण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0103-नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम(के.70/रा.30-के.+ रा.) -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)"	750000	110096	110096	110096	639904
योग	750000	110096	110096	110096	639904

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चा उपलब्ध अनुदान विनियोग (8+11
7	8	9	10	11	12
"2215-जल पूर्ति तथा सफाई-02-मल जल तथा सफाई-191-नगर निगमों को सहायता-04-30प्र0 व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय निकायों के सीवरेज कार्यों हेतु-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"	150000	260096	110096	110096	260096
योग	150000	260096	110096	110096	260096

स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है-:

(1) नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिपक्व प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण बचतें हो रही है।

(2) स्तम्भ 8-में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ 9-में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है -:

नगर निगमो के माइनर हेड में पेयजल कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध न होने के कारण परिपक्व प्रस्ताव के सापेक्ष अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0संख्या- 429 ई-8-377 /दस-2016, दिनांक 01 मार्च, 2016

सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव,
नगर विकास विभाग।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- (1)/नौ-5-2016-161बजट/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-जिलाधिकारी, लखनऊ ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
6-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ ।
7- वरिष्ठ लेखाधिकारी/मुख्य सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
8- मुख्य अभियंता (ल0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ ।
9-महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण, इकाई जल निगम, लखनऊ ।
10-वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
11-सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-11/03/2016

प्रेषण संख्या:- 41

आवंटन आदेश संख्या:- 001-41-2016-348-9-5-15-161B-2015

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

02 - मल-जल तथा सफाई

191 - नगर निगमों को सहायता

04 - उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय

01 - नगरीय निकायों को सीवरेज कार्यों हेतु

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	110096000 651980000	110096000 651980000
	योग	वर्तमान प्रगामी	110096000 651980000	110096000 651980000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ छियानवे हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया पैंसठ करोड़ उनीस लाख अस्सी हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी